

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235944
SG-DL-E-21052022-235944

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]	दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.71
No. 281]	DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944	[N. C. T. D. No. 71

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 मई, 2022

फा. सं. 8/182/2021/गृह पुलिस-II/पार्ट फाइल-I/949-62.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302/120-ख/34 के अन्तर्गत एफ आई आर सं. 277/2001 पुलिस स्टेशन शाहदरा तथा आयुध अधिनियम की धारा 27/54/59 के अंतर्गत एफ आई आर सं. 272/2001, पुलिस स्टेशन भजनपुरा, उत्तर-पूर्व जिला दिल्ली, मामलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ता श्री एस. के. सक्सेना के स्थान पर अधिवक्ता श्री रविन्द्र चड्ढा को सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में राज्य की ओर से प्रति पेशी 1/-रुपये के साधारण शुल्क पर विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
एल. के. गौतम, उप सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd May, 2022

F. No. 8/182/2021/HP-II/ Pt.file-I/949-62.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority, is pleased to appoint Mr. Ravinder Chadha, Advocate as Special Public Prosecutor in place of Mr. S. K. Saxena, Advocate to represent the state in the case FIR No. 277/2001 U/s 302/120-B/34 IPC P. S. Shahdara and FIR No. 272/2001 U/s 27/54/59 Arms Act, P. S. Bhajanpura, North-East District., Delhi on behalf of the State in the Court of competent jurisdiction with nominal fee of Rs. 1/- per appearance.

This issues with the approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (Home-II)